(Alok Pratap Singn)
Chief Judicial Magistrate
Jabalpur (M.P.)

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म0प्र0)
(कार्य–विभाजन आदेश)

कमांक क्यू/सी.जे.एम./2023 जबलपुर, दिनांक 03.01.2023

मैं, आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर, जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.22 को निरस्त करते हुए दंड प्रकिया संहिता की धारा 14(2), 15(2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) के अनुमोदन उपरांत निम्नानुसार नवीन **दांडिक कार्य–विभाजन** आदेश जारी करता हूँ, जो कि दिनांक **03.01.2023** से अन्यथा आदेश तक प्रभावशील रहेगा :–

क	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
1	श्री आलोक प्रताप सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	ओमती, सिविल लाईन लार्डगंज बरगी	1– उक्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत समस्त दांडिक प्रकरण **(परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन पत्र, महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन पत्र, परिवाद प्रकरण, उक्त आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण छोडकर)** एवं समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खारिजी प्रकरण। 2– आबकारी विभाग, श्रम विभाग, नापतौल विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण। 3– विशेष पुलिस स्थापना, सी.आई.डी. जबलपुर शाखा द्वारा प्रस्तुत होने वाले सभी दांडिक प्रकरण। 4– म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर म.प्र. द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र। 5– म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्रस्तुत जबलपुर, तहसील के सभी दांडिक प्रकरण। 6– सिनेमाटोग्राफी एक्ट, ड्रग्स कास्मेटिक एक्ट 1945 के अन्तर्गत जबलपुर जिले में प्रस्तुत होने वाले सभी दांडिक प्रकरण। 7– पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिवाद /आपराधिक प्रकरण। 8– जबलपुर जिले में चलित न्यायालय लगाना। 9– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नोटिफिकेशन कमांक सी/419 जबलपुर दिनांक 19/1/18 द्वारा अधिसूचित जिलों से उदभूत स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स यूनिट द्वारा प्रस्तुत मामले। 10– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन क. ए/1816/II(STF)/III–6–5–14दिनांक 14.04.22 द्वारा अधिसूचित जिलो से उदभूत STF (Special Task Force) भोपाल द्वारा प्रस्तुत मामले। 11– जिला जबलपुर के समस्त संक्षिप्त विचारण के ऐसे मामले जिसमें ओवर लोडिंग 10 टन से अधिक हो। 12– वह समस्त न्यायिक कार्य जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के है, जिनका इस कार्यविभाजन आदेश में उल्लेख नही है ।
2	श्रीमती मंजू सिंह प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड एवं ए.सी.जे.एम.		1– किशोर न्याय वोर्ड जबलपुर से संबंधित प्रकरण व कार्य।

3	श्री अरविंद सिंह टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	रांझी, ग्वारीघाट गोहलपुर, गढा, मदनमहल, बरेला, कोतवाली, गोरखपुर, तिलवारा	1– उक्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत परक्राम्य लिखित अधिनियम एवं द पेयमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण 2– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
4	श्रीमती श्वेता तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	अधारताल, काईम ब्रांच	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
5	सुश्री सरिता जतारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	गोराबाजार	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)**परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद पत्र। 3– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
6	श्री मनीष कुमार सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	गढ़ा	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण,**(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरणों को छोडकर)** 2– व्यापम मामलो से संबंधित प्रकरण। 3– राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दांडिक प्रकरण एवं एफ.आर.। 4– आयकर, कस्टम एवं सेंट्रल एवं कंपनी अधिनियम से संबंधित प्रस्तुत प्रकरण। 5– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 6– माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना कमांक सी/2005 III–10–40/78 जबलपुर दिनांक–13.08.2020 के अनुसार सी0 बी0 आई0 देहली स्पेशल पुलिस स्टेबलिस्मेंट ब्रॉच द्वारा नोटिफिकेशन में उल्लेखित अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले। 7– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण।
7	श्रीमती तबस्सुम खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	बेलबाग	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण

8	श्रीमती ज्योत्सना आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	माढ़ोताल	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नोटिफिकेशन कमांक सी/419 जबलपुर दिनांक 19/1/18 द्वारा अधिसूचित जिलों से उद्भूत स्पेशल टाइगर रिजर्व फोर्स यूनिट द्वारा प्रस्तुत मामलों को छोड़कर वन–विभाग जबलपुर तथा जिला मुख्यालय में **वन विधि** से उदभूत समस्त प्रकरण। 4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
9	श्री विकाश शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	केंट, पनागर	1– उक्त आरक्षी केन्द से उदभूत समस्त दांडिक प्रकरण , **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)**,परिवाद प्रकरण,156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– म.प्र.नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत जबलपुर नगर निगम क्षेत्राधिकार से उदभूत होने एवं नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत पनागर बरेला नगर पालिका क्षेत्र से उदभूत होने वाले समस्त दांडिक एवं परिवाद प्रकरण। 4– केन्टोनमेंट अधिनियम की धारा 281 के अन्तर्गत समस्त दांडिक प्रकरण एवं केन्टोनमेंट सीमा जबलपुर की वसूली कार्यवाही। 5– जबलपुर नगर निगम एवं जबलपुर तहसील क्षेत्र से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से उदभूत समस्त दांडिक प्रकरण 6– मुख्यालय जबलपुर के थानों से उदभूत होने वाले पंचायत अधिनियम से संबंधित दांडिक एवं परिवाद प्रकरण। 7– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
10	श्री अम्बुज श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	खमरिया, रांझी	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं आरक्षी केन्द्र रांझी के धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– मुख्यालय जबलपुर क्षेत्राधिकार के ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरण। 4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
11	श्रीमती नमिता बोरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	लार्डगंज, केंट, पनागर, बेलबाग, बरगी, विजय नगर, भेडाघाट, घमापुर एवं संजीवनी नगर	1– उक्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत परकाम्य लिखित अधिनियम एवं द पेयमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण। 2– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण

12	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	कोतवाली	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
13	श्रीमती विधि डागलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी		1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
14	श्री विजय कुमार पांडेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	जी.आर.पी, आर.पी.एफ., विशेष रेल्वे अधिनियम	1– इंडियन रेल्वे प्रापर्टी (अन.ला.पुल पजेशन एक्ट) के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के नोटिफिकेशन कमांक. B/3867/III-6-3-57-IX Jabalpur Dt. 16.07.2021 अनुसार जबलपुर जिले से उदभूत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण। 2– आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी. द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण एवं परिवाद समस्त प्रकार के किन्तु द.प्र.सं. की धारा 235 के प्रकरणों को छोडकर, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन के प्रकरण। 3– विशेष रेल्वे अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाले दांडिक प्रकरण **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** 4– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 5– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
15	श्री समीर कुमार मिश्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सिविल लाइन, कुंडम, माढ़ोताल खमरिया, अधारताल, ओमती, हनुमानताल, एवं गोराबाजार	1– उक्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत परक्राम्य लिखित अधिनियम एवं "द पेयमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम" एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण 2– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
16	श्रीमती मोना शुक्ला पांडेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	गोहलपुर	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
17	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सायबर काईम	1– सायबर काईम एवं आई.टी.एक्ट से संबंधित परिवाद, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन के प्रकरण। 2– जिला मुख्यालय जबलपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रो से उदभूत सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रकरण।

			3– माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना कमांक बी/8125/III–6–2/2018 जबलपुर दिनांक–14.12.21 के अनुसार एम.पी., और एम.एल.ए. से संबंधित मामले। 4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
18	सुश्री संजना मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	आरक्षी केन्द्र रांझी, हनुमानताल, केंट, पनागर, अधारताल घमापुर, माढोताल, खमरिया, तिलवारा को छोडकर शेष आरक्षी केन्द्र के महिलाओ से संबंधित प्रकरण	1– उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण,परिवाद प्रकरण घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, दं.प्र.सं. के अध्याय 09 के अंतर्गत भरण पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– दंड प्रकिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 3– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले महिलाओं से संबंधित ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
19	सुश्री सपना कनौडिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	संजीवनी नगर	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
20	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी	महिला थाना,गढ़ा, रांझी, हनुमानताल, केंट, पनागर, अधारताल, घमापुर,माढोताल, खमरिया, तिलवारा के महिलाओं से संबंधित प्रकरण	1– उक्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण,परिवाद प्रकरण, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, दं.प्र.सं. के अध्याय 09 के अंतर्गत भरण पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– दंड प्रकिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 3– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले महिलाओं से संबंधित ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो। 4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
21	श्री कुवंर युवराज सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	मदनमहल	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण

22	श्री मनमोहन कौरव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	हनुमानताल ग्वारीघाट	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
23	श्री आनंद बागरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	गोरखपुर	1– उक्त आरक्षी केन्द के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
24	श्रीमती गजल पाहवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	तिलवारा	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
25	श्रीमती नेहा तोमर सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	बरेला	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र बरगी एवं गढ़ा से उदभूत **(महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से उत्पन्न होने वाले परिवाद को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
26	सुश्री किरण मलिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी		1– जिला मुख्यालय जबलपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उदभूत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण। 2– आरक्षी केन्द्र ओमती से उदभूत से उदभूत **(महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से संबंधित परिवाद एवं ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
27	श्री उत्कर्ष कुमार सोनकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी		1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण

28	श्री भूपेन्द्र सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	घमापुर महिला थाना जबलपुर (महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को छोड़कर)	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न प्रकरण **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)**, परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण **(महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को छोड़कर)** 3– आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन से उदभूत **(महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से संबंधित परिवाद एवं ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न खात्मा प्रकरण। 4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
29	श्री तन्मय सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	भेड़ाघाट	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं. प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
30	सुश्री श्रद्धा पांडेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	कुडंम, यातायात शहर	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र लार्डगंज से उदभूत से उदभूत **(महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से संबंधित परिवाद एवं ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न खात्मा प्रकरण। 4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
31	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	यातायात गढ़ा	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं. प्र.सं. के आवेदन। 2– आरक्षी केन्द्र हनुमानताल एवं ग्वारीघाट से उदभूत **(महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से उत्पन्न होने वाले परिवाद को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र. सं. के आवेदन। 3– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण

32	श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	यातायात घमापुर	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– आरक्षी केन्द्र रांझी से उदभूत **(महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध से उत्पन्न होने वाले परिवाद को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
33	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी		1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
34	श्रीमती अदिति तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी		1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण
35	श्री अंकुर तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	विजयनगर	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण

पाटन

क	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
1	श्री दशरथ सिंह भिडे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन, जबलपुर	पाटन, बेलखेड़ा	1– आरक्षी केन्द्र पाटन, बेलखेडा द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन, धारा 138 निगो. इ.एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र.आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के **(ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोडकर)** खात्मा प्रकरण। 3– पाटन तहसील क्षेत्र से उत्पन्न खाघ अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से उदभूत समस्त दांडिक प्रकरण, पाटन तहसील के आवश्यक वस्तु अधिनियम से उदभूत प्रकरण। 4– तहसील पाटन के वन विधि से उदभूत एवं खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद/प्रकरण। 5– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष अधिसूचित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर तहसील पाटन पदस्थापना से संबंधित अन्य अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 6– तहसील पाटन से उदभुत ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरण। 7– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारासमय–समय पर अंतरित प्रकरण ।

2	श्रीमती रीतिका शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन जबलपुर	चरगवां	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दांडिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2– तहसील न्यायालय पाटन के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण (जिसमें पीडित महिला हो), घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, दं.प्र.सं. के अध्याय 09 के अंतर्गत भरण पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 3– दंड प्रकिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय –समय पर अंतरित प्रकरण।
3	सुश्री उजाला झा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन जबलपुर	कटंगी	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दांडिक प्रकरण **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोड़कर)** परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के **(ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोड़कर)** खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय –समय पर अंतरित प्रकरण।
4	श्री रवि कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन जबलपुर	शहपुरा	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दांडिक प्रकरण **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोड़कर)** परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के **(ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोड़कर)** खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय –समय पर अंतरित प्रकरण।

सिहोरा

क	**मजिस्ट्रेट**	**आरक्षी केन्द्र**	क्षेत्राधिकार
1	श्रीमती सविता ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा जबलपुर	सिहोरा, खितौला, मझौली	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)**परिवाद प्रकरण, खात्मा प्ररकण, धारा 156(3) दं.प्रसं. के आवेदन, धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2– सिहोरा तहसील के तेजाब फेकने वाले समस्त दांडिक प्रकरण जो कटनी राजस्व मे नही आते हों ।

			3– सिहोरा तहसील क्षेत्र से जो कटनी राजस्व में नहीं आते हों, के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से उदभूत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण। 4– तहसील सिहोरा के वन विधि से उदभूत एवं खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद/प्रकरण। 5– तहसील सिहोरा के समस्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण। 6– आबकारी वृत्त सिहोरा द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण। 7– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के **(ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोडकर)** खात्मा प्रकरण। 8– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष अधिसूचित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर तहसील सिहोरा पदस्थापना से संबंधित अन्य अधिनियम से संबंधित प्रकरण 9– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण ।
2	सुश्री रेशमा खातून न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा जबलपुर।	गोसलपुर, मझगवां	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न दांडिक प्रकरण **(महिलाओं के विरूद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोड़कर)** परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के **(ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोड़कर)** खात्मा प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण।
3–	सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा जबलपुर		1– तहसील न्यायालय सिहोरा के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, खात्मा प्रकरण (जिसमें पीडित महिला हो), घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण, दं.प्र.सं. के अध्याय 09 के अंतर्गत भरण पोषण के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण एवं उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन। 2– दंड प्रकिया संहिता की धारा 125 से 128 मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 3– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय –समय पर अंतरित प्रकरण।

<u>टीप एवं आवश्यक निर्देश :–</u>

1. इस कार्य विभाजन आदेश से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

2. आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य धारा–436 एवं 437 दं.प्र.सं. के तहत जमानत आवेदन एवं धारा–451, 457 दं.प्र.सं. के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन, हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रकिया द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करता है, तो <u>जो मजिस्ट्रेट समरी पावर से सशक्त हैं, वह ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।</u>

3. समस्त जे.एम.एफ.सी. यदि धारा –167(2) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते हैं, तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर की ओर आवश्यक रूप से भेजी जावे।

4. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर, जो रिक्त न्यायालयों से संबंधित है, उनमें माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उन मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी, जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है, जिससे वह मामला उद्भूत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है तथा यदि वह पीठासीन अधिकारी अर्थात् मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ हैं, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उन्हीं पदस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी।

5. ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट जिनका स्थानातरंण हो गया है, के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट या समर्पण संबंधी आवेदन का निराकरण उन्हीं मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, जिनके समक्ष उक्त गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण लंबित है तथा यदि प्रकरण अभिलेखागार में है, तब ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा, जिनको संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है) का क्षेत्राधिकार आवंटित है। यदि स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले पीठासीन अधिकारी अर्थात् मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ होकर कार्यरत है, तब उससे संबंधित कार्यवाही उन्हीं पदस्थ कार्यरत मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

6. रिक्त न्यायालय के अपील, पुनरीक्षण, रिवीजन आदेश के परिपालन में निष्पादन योग्य कार्यवाही, दस्तावेज से जमानत निरस्त संबंधी कार्यवाही, जिसमें थाना स्पष्ट नही हो रहा हो, के संबंध में जबलपुर न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री किरण मलिक, तहसील न्यायालय सिहोरा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री रेशमा खातून एवं तहसील न्यायालय पाटन में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री रवि साहू द्वारा संपादित की जायेगी।

7. आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियॉ सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग–पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।

8. म.प्र.ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 की धारा 16(1) व (2) के प्रावधाननुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नही माने जावेगे। ग्राम न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय जबलपुर/पाटन के द्वारा ही लिया जायेगा।

9. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिन्हें समरी पावर प्राप्त हैं, वह अपने संबंधित आरक्षी केद्रों की सीमा क्षेत्र में चलित न्यायालय लगा सकेंगे, जिसकी पूर्व सूचना माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर को प्रेषित करेंगे। उक्त चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणों के लिए लगाई जावे तथा उक्त चलित न्यायालयों को इस प्रकार लगाया जावे, जिससे कि न्यायालय का नियमित कार्य का संपादन प्रभावित न हो।

10. लंबित रिमांड पेपर्स से संबंधित अभियोग–पत्र उन्हीं न्यायालयों में पेश किये जायेंगे, जिनके पास उपरोक्त कार्य विभाजन–पत्रक से संबंधित आरक्षी केंद्र का क्षेत्राधिकार दिया गया है, जब तक अलग से आदेश न हो तथा ऐसे रिमाण्ड पेपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेंगे।

11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी दूरभाष आदि के माध्यम से देंगे तथा अत्यावश्यक होने पर ई–मेल, फैक्स आदि से आवेदन प्रेषित करेंगे।

12. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन–पत्रक से प्रभावित नहीं रहेंगे।

13. धारा–340 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त जबलपुर जिले के परिवाद–पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

14. इस कार्य विभाजन–पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नही पडेगा, जो संबंधित न्यायालय में पूर्व से लंबित है एवं जिनका निराकरण करने के लिए वह न्यायालय सक्षम है।

15. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर जिले में स्थित किसी भी आरक्षी केन्द्र अथवा अन्य विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग–पत्रों व परिवाद–पत्रों का संज्ञान करने में सक्षम होंगे।

16. किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश के दौरान उनके न्यायालय के अण्डर–ट्रायल अथवा 05 वर्ष अथवा अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित अनुसंधानकर्ता अधिकारी/चिकित्सक साक्षी या वृद्ध असमर्थ ऐसे साक्षी या वृद्ध, बीमार या अत्याधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश न मिलने या अत्यंत कष्टकारी, व्ययकारी या असुविधाजनक होने के स्थिति में ऐसे साक्षियों का साक्ष्य जिनकी पुनः उपस्थिति कठिन है, का साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित की जावेगी तथा ऐसे प्रकरण केवल उक्त कार्य हेतु इंचार्ज मजिस्ट्रेट को विधिवत् अंतरित किये गये समझे जाएंगे।

17. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेंगे।

18. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट् को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी पृष्ठांकन कमांक डी–2495 जबलपुर दिनांक10/4/2019 अनुसार न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध आरोपियों के संबंध में साक्ष्य/आरोप पत्र विरचना/आरोपी कथन से संबंधित कार्यवाही अपरिहार्य परिस्थितियों को छोडकर वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से करावें ।

19. दं.प्र.सं. की धारा 176(1–क) के अंतर्गत मृत्यु के कारण की जॉच उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जिसको इस हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अधिकृत किया जाएगा।

20. धारा 176 दं.प्र.सं. के अंतर्गत मृतक बंदियों की न्यायिक जॉच से संबंधित अनुरोध पत्र केन्द्रीय कारागार जबलपुर से व संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अपने अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र के संबंध में विधिवत कार्यवाही अविलंब संपादित करेगें। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर से पृथक से कोई आदेश प्रसारित नहीं किया जायेगा।

21. रिमांड ड्यूटी, वीडियो कान्फ्रेसिंग, धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन एवं धारा 176 दं.प्र.सं. के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि किसी कारणवश अवकाश पर रहने या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेटगण का स्थानातरंण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में प्रभार अनुसूची कं. 01 के अनुसार रहेगा एवं वह विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेगें।

22. तहसील सिहोरा एवं तहसील पाटन में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने आरक्षी केन्द्रों के धारा 176 दं.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जॉच संपादित करेगे।

23. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने टूर पर प्रस्थान करेगें तथा यह भी सुनिश्चित करेगें कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्ही तिथियों पर नियत किये जावें, जिनमें मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित रहे तथा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम दो दिवस मुख्यालय में उपस्थित रहकर न्यायालयीन कार्य का निष्पादन करेगे।

24. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर जाने की दशा में संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने मामले/प्रकरण अनुसूची कं. 01 के अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश होगें और उसी न्यायालय में पंजीबद्ध किये जावेगें। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने तथा स्थानातरंण हो जाने की दशा में जब तक उनके स्थान पर नये अधिकारी पदभार ग्रहण नही करते, तब तक अनुसूची कं. 01में वर्णित प्रभारी मजिस्ट्रेट स्थानातंरित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आने वाले संपूर्ण मामले सीधे अपने न्यायालय में ग्रहण कर, पंजीबद्ध करेगें और विधि अनुसार कार्यवाही करेगें।

25. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र से उदभूत जन्म–मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1967 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन का निराकरण करेगें एवं श्रीमती नेहा तोमर सिंह जे.एम.एफ.सी. आरक्षी केन्द्र ओमती, बरगी एवं सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना जे.एम.एफ.सी. आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, लार्डगंज से संबंधित आवेदन का निराकरण करेगी।

26. अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 कार्यविभाजन पत्रक के ही अंग होगें।

27. इस आदेश के संबंध में किसी भी भ्रम या अस्पष्टता की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर को संदर्भित कर उसके संबंध में सुझाव/मार्गदर्शन लिया जाये। यह आपराधिक कार्य विभाजन संबंधी आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत दिनांक 03.01.2023 से प्रभावशील माना जायेगा।

3-1-23

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर (म.प्र.)

(Alok Pratap Singh)
Chief Judicial Magistrate
Jabalpur (M.P.)

पृष्ठांकन कमांक/ /स्टेनो/2022 **जबलपुर दिनांक 03.01.2023**

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, जिला जबलपुर।
3. माननीय ..... अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर/पाटन सिहोरा, जिला जबलपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर/पाटन/सिहोरा, जिला जबलपुर।
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी, जबलपुर/पाटन/सिहोरा, जिला जबलपुर।
6 कलेक्टर, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर की ओर संबंधित थानों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
8. जिला आबकारी, जिला जबलपुर।
9 अभियोजन अधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, जिला जबलपुर।
10. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ,/पाटन/सिहोरा/जबलपुर, जिला जबलपुर।
11. आयुक्त, नगर पालिका निगम, जबलपुर
12. नियंत्रक नापतौल विभाग जबलपुर
13. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जबलपुर
14. न्यायालय अधीक्षक, जिला न्यायालय जबलपुर
15. जेल अधीक्षक, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, केन्द्रीय जेल, जबलपुर, जिला जबलपुर।
16 फाइलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय, जिला जबलपुर।
17. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
18. प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर।

Sd/-

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

// अनुसूची कं. 01 //

1. जिला मुख्यालय जबलपुर, सिहोरा एवं पाटन हेतु अनुसूची कं. 01 के कालम नं. 02 में उल्लेखित सी. जे.एम./न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में अथवा अत्यावश्यक ड्यूटी में व्यस्त होने पर सूची अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रभारी अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्य को निष्पादित करेगे इसके पश्चात् भी यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है, कि कालम नं0 03, 04, 05 एवं 06 के सभी न्यायिक अधिकारी अवकाश पर रहते हैं, तो कालम नंबर– 06 के पीठासीन अधिकारी का कार्य प्रभार देखने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा कार्य निष्पादित किया जावेगा, यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

2. अत्यावश्यक प्रकृति के मामलो मे ऐसे समस्त मामले भी शामिल होगें, जिनमें संक्षिप्त प्रकिया के द्वारा आरोपी अपराध की स्वीकारोक्ति चाहता है। अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों मे वह मामले शामिल नही होगें, जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हो।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
01	02	03	04	05	06
1	श्री आलोक प्रताप सिंह	श्री मनीष कुमार सिंह	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा
2	श्रीमती मंजू सिंह	प्रथम सदस्य किशोर न्याय वोर्ड	द्वितीय सदस्य किशोर न्याय वोर्ड		
3	श्री अरविंद सिंह टेकाम	श्री समीर कुमार मिश्र	श्रीमती नमिता बोरासी	सुश्री किरण मलिक	सुश्री सरिता जतारिया
4	श्रीमती श्वेता तिवारी	श्रीमती विधि डागलिया	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री तन्मय सिंह	श्री आनंद बागरी
5	सुश्री सरिता जतारिया	सुश्री किरण मलिक	श्री अरविंद सिंह टेकाम	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	श्रीमती तबस्सुम खान
6	श्री मनीष कुमार सिंह	श्री विकाश शुक्ला	श्रीमती नमिता बोरासी	सुश्री सरिता जतारिया	श्री विजय कुमार पांडेय
7	श्रीमती तबस्सुम खान	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	सुश्री श्रद्धा पांडेय	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	सुश्री संजना मालवीय
8	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	श्री विजय कुमार पांडेय	श्री अरविंद सिंह टेकाम	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	सुश्री सरिता जतारिया
9	श्री विकाश शुक्ला	सुश्री श्रद्धा पांडेय	सुश्री सरिता जतारिया	श्री अरविंद सिंह टेकाम	श्रीमती तबस्सुम खान
10	श्री अम्बुज श्रीवास्तव	श्रीमती श्वेता तिवारी	श्रीमती विधि डगलिया	श्री तन्मय सिंह	श्री आनंद बागरी
11	श्रीमती नमिता बोरासी	श्री अरविंद सिंह टेकाम	श्री समीर कुमार मिश्रा	सुश्री श्रद्धा पांडेय	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम
12	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	श्री अरविंद सिंह टेकाम	सुश्री किरण मलिक	श्री विजय कुमार पांडेय	श्रीमती ज्योत्सना आर्य
13	श्रीमती विधि डागलिया	श्रीमती श्वेता तिवारी	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री तन्मय सिंह	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना
14	श्री विजय कुमार पांडेय	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	श्री अरविंद सिंह टेकाम	सुश्री किरण मलिक
15	श्री समीर कुमार मिश्र	श्रीमती नमिता बोरासी	श्री अरविंद सिंह टेकाम	सुश्री सरिता जतारिया	सुश्री किरण मलिक
16	श्रीमती मोना शुक्ला पांडेय	श्री कुवंर युवराज सिंह	सुश्री अदिति तिवारी	सुश्री सपना कनौडिया	श्री अंकुर तिवारी
17	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	श्रीमती तबस्सुम खान	श्री समीर कुमार मिश्र	सुश्री श्रद्धा पांडेय	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम
18	सुश्री संजना मालवीय	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	श्रीमती तबस्सुम खान	श्रीमती नमिता बोरासी	श्री समीर कुमार मिश्र

19	सुश्री सपना कनौडिया	श्री मनमोहन सिंह कौरव	श्रीमती गजल पाहवा	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	श्रीमती नूतन रावते
20	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	सुश्री संजना मालवीय	सुश्री श्रद्धा पांडेय	श्रीमती तबस्सुम खान	श्रीमती नमिता बोरासी
21	श्री कुवंर युवराज सिंह	श्रीमती मोना शुक्ला पांडेय	सुश्री अदिति तिवारी	सुश्री सपना कनौडिया	श्री अंकुर तिवारी
22	श्री मनमोहन सिंह कौरव	सुश्री सपना कनौडिया	श्री अंकुर तिवारी	सुश्री गजल पाहवा	श्रीमती नूतन रावते
23	श्री आनंद बागरी	श्री तन्मय सिंह	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्रीमती विधि डागलिया	श्रीमती श्वेता तिवारी
24	सुश्री गजल पाहवा	श्रीमती नूतन रावते	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	सुश्री सपना कनौडिया	श्री अंकुर तिवारी
25	श्रीमती नेहा तोमर	श्रीमती अदिति तिवारी	श्रीमती नूतन रावते	श्रीमती गजल पाहवा	श्रीमती रश्वि अभिजीत मरावी
26	सुश्री किरण मलिक	सुश्री सरिता जतारिया	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	श्री मनीष कुमार सिंह
27	श्री उत्कर्ष सोनकर	सुश्री सरिता जतारिया	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	श्री मनीष कुमार सिंह
28	श्री भूपेन्द्र सिंह	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	श्री आनंद बागरी	श्री तन्मय सिंह	श्रीमती विधि डागलिया
29	श्री तन्मय सिंह	श्री आनंद बागरी	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्रीमती श्वेता तिवारी	श्रीमती विधि डागलिया
30	सुश्री श्रृद्वा पांडेय	श्रीमती तबस्सुम खान	श्री अम्बुज श्रीवास्तव	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	सुश्री संजना मालवीय
31	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री तन्मय सिंह	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्रीमती विधि डागलिया
32	श्रीमती नूतन रावते	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्री अंकुर तिवारी	सुश्री सपना कनौडिया
33	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	श्रीमती गजल पाहवा	श्रीमती नूतन रावते	सुश्री अदिति तिवारी	श्री अंकुर तिवारी
34	श्रीमती अदिति तिवारी	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	श्रीमती नूतन रावते	श्रीमती गजल पाहवा
35	श्री अंकुर तिवारी	सुश्री सपना कनौडिया	श्रीमती गजल पाहवा	श्रीमती नूतन रावते	सुश्री अदिति तिवारी

पाटन

1	श्री दशरथ सिंह भिडे	श्रीमती रीतिका शर्मा	सुश्री उजाला झा	श्री रवि कुमार साहू	श्रीमती मोना शुक्ला पांडेय
2	श्रीमती रीतिका शर्मा	सुश्री उजाला झा	श्री रवि कुमार साहू	श्री दशरथ सिंह भिड़े	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी
3	सुश्री उजाला झा	श्री रवि कुमार साहू	श्री दशरथ सिंह भिड़े	श्रीमती रीतिका शर्मा	श्रीमती नूतन रावते
4	श्री रवि कुमार साहू	श्री दशरथ सिंह भिड़े	श्रीमती रीतिका शर्मा	सुश्री उजाला झा	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना

सिहोरा

1	श्रीमती सविता ठाकुर	सुश्री रेशमा खातून	सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री	श्रीमती श्वेता तिवारी	श्रीमती तबस्सुम खान
2	सुश्री रेशमा खातून	सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री	श्रीमती सविता ठाकुर	श्री भूपेन्द्र सिंह	सुश्री श्रद्धा पांडेय
3	सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री	सुश्री रेशमा खातून	श्रीमती सविता ठाकुर	सुश्री सपना कनौडिया	श्री अंकुर तिवारी

नोट–

1. प्रिसिंपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के स्थानातरंण हो जाने तथा उनके अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय वोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्ही कारणवश सदस्य भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर को छोड़कर वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

// अनुसूची कं. 02 //

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधो से संबंधित अपराधो के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन को छोडकर शेष अपराधों के संबंध में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौपा जाता है–

कं.	आरक्षी केन्द्र	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
1	ओमती, सिविल लाइन, लार्डगंज, नया अपराध शाखा जबलपुर एवं साइबर काइम यूनिट	श्री अंकुर तिवारी	श्री आनंद बागरी	श्री तन्मय सिंह
2	भेडाघाट, ए.टी.एस/ एस.टी.एफ, सी. बी.आई, सी.आई. डी., आर्थिक अपराध एवं व्यापम से प्रस्तुत मामले	श्री तन्मय सिंह	श्री कुंवर युवराज सिंह	श्री अंकुर तिवारी
3	जी.आर.पी., आर.पी.एफ., केन्ट, विशेष रेल अधिनियम, विजय नगर, माढोताल, खमरिया, मदन महल	श्री मनमोहन सिंह कौरव	श्री भूपेन्द्र सिंह	श्री आनंद बागरी
4	आधारताल, बरगी, पनागर ,कुंडम, तिलवारा, गढा, हनुमानताल	श्री भूपेन्द्र सिंह	सुश्री किरण मलिक	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना
5	एस.सी.एस.टी. एवं कोतवाली, बेलबाग, संजीवनी नगर, ग्वारीघाट	श्री आनंद बागरी	श्री मनमोहन सिंह कौरव	श्री अंकुर तिवारी
6	गोरखपुर, गोहलपुर, बरेला, रांझी, गोराबाजार, घमापुर,	श्री कुंवर युवराज सिंह	श्री तन्मय सिंह	सुश्री किरण मलिक
7	पाटन, बेलखेडा,	श्री रवि साहू	सुश्री उजाला झा	श्रीमती रितिका शर्मा
8	चरगवॉ	सुश्री उजाला झा	श्री रवि कुमार साहू	श्री दशरथ सिंह भिडे
9	कटंगी	श्री रवि कुमार साहू	श्री दशरथ सिंह भिड़े	श्रीमती रीतिका शर्मा
10	शहपुरा	श्री दशरथ सिंह भिडे	श्रीमती रीतिका शर्मा	सुश्री उजाला झा
11	सिहोरा, खितौला, मझौली	सुश्री रेशमा खातून	सुश्री श्रृष्टि अग्निहोत्री	सुश्री किरण मलिक
12	गोसलपुर, मझगवां	श्रीमती सविता ठाकुर	सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री	श्रीमती अदिति तिवारी

नोट :–

1. उपरोक्तानुसार धारा–164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। धारा–164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र का मामला कथन हेतु पेश हो तो क्रमशः अगले प्रभारी कथन लेगे।

2. किन्ही कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को छोड़कर) श्री उत्कर्ष कुमार सोनकर जे.एम.एफ.सी. जबलपुर द्वारा लिये जाएगे।

3. उपरोक्त तालिका में यदि कॉलम कमांक 03, 04 एवं 05 में नामांकित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो उनके स्थान पर **सुश्री किरण मलिक/सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना/श्रीमती नूतन रावते/सुश्री श्रद्धा पांडेय/सुश्री सपना कनौडिया** कमानुसार कथन लेंगे।

.....

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित धारा 164 दं.प्र.सं. के कथनों हेतु निम्न महिला मजिस्ट्रेटगण को आरक्षी केन्द्र का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

क	निम्नलिखित आरक्षी केन्द्र से उदभूत महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित अपराध एवं लैंगिक अपराध से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित अपराधों में	**प्रभारी अधिकारी**	**प्रभारी अधिकारी**	**प्रभारी अधिकारी**
01	**02**	**03**	**04**	**05**
1	केंट, पनागर, तिलवारा, ,खमरिया ए.टी.एस. /एस.टी.एफ, सी. बी. आई, सी. आई. डी, आर्थिक अपराध जबलपुर एवं व्यापम	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	श्रीमती तबस्सुम खान
2	विजय नगर, महिला थाना, सिविल लाइन,	सुश्री किरण मलिक	सुश्री सपना कनौडिया	श्रीमती अदिति तिवारी
3	कुंडम, ओमती, कोतवाली, लार्डगंज, एस. सी./ एस. टी.	सुश्री श्रद्धा पांडेय	श्रीमती नूतन रावते	श्रीमती गजल पाहवा
4	रांझी, हनुमानताल, माढोताल, बेलबाग, गढा,जी आर पी, आर पी एफ, विशेष रेल्वे अधिनियम	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	श्रीमती गजल पाहवा	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी
5	नया अपराध शाखा, मदन महल, बरगी, गोहलपुर, एवं साइबर काइम यूनिट	श्रीमती नूतन रावते	सुश्री किरण मलिक	सुश्री सपना कनौडिया
6	बरेला, भेडाघाट, संजीवनी नगर, गोरखपुर	श्रीमती गजल पाहवा	सुश्री श्रद्धा पांडेय	श्रीमती तबस्सुम खान
7	अधारताल, घमापुर, ग्वारीघाट गोराबाजार	श्रीमती नमिता बोरासी	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	सुश्री सरिता जतारिया
6	पाटन, बेलखेडा, शहपुरा	सुश्री उजाला झा	श्रीमती रीतिका शर्मा	श्रीमती अदिति तिवारी
7	चरगवां, कटंगी	श्रीमती रीतिका शर्मा	सुश्री उजाला झा	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना
8	सिहोरा, खितौला, मझौली	सुश्री रेशमा खातून	सुश्री श्रृष्टि अग्निहोत्री	सुश्री सपना कनौडिया
9	गोसलपुर, मझगवां	श्रीमती सविता ठाकुर	सुश्री श्रृष्टि अग्निहोत्री	सुश्री किरण मलिक

नोट :-

1. उपरोक्तानुसार धारा-164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे। धारा-164 दं.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र के उन्ही की न्यायालय में विचारण योग्य मामले (सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलो को छोड़कर) कथन हेतु पेश हो तो कमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।

2. किन्ही कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उक्त आरक्षी केन्द्र के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन (महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को छोड़कर) श्रीमती नूतन रावते जे.एम.एफ.सी. जबलपुर द्वारा लिये जाएगे।

3. महिलाओं से संबंधित अपराध एवं लैंगिक अपराध से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में उपरोक्त तालिका में यदि कॉलम कमांक 03, 04 एवं 05 में नामांकित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो उनके स्थान पर सुश्री सपना कनौडिया/सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना/श्रीमती नूतन रावते/सुश्री श्रृद्धा पांडेय /श्रीमती नेहा तोमर सिंह कमानुसार कथन लेंगे।

अनुमोदित

(नवीन कुमार सक्सेना)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर।

(एम. के. ...)
सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

(Alok Pratap Singh)
Chief Judicial Magistrate
Jabalpur (M.P.)

पृष्ठांकन कमांक/ क्यू /सी.जे.एम./2022 **जबलपुर, दिनांक 03.01.2023**

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. सांख्यिकी अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sd/-

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म0प्र0)

(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में प्रथम संशोधन आदेश)

कमांक / क्यू / सी.जे.एम. / 2023 जबलपुर, दिनांक 05.01.2023

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.2023 में निम्नानुसार संशोधित करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा–

1. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 27 (श्री उत्कर्ष कुमार सोनकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) को पूर्ण रूप से विलोपित किया जाता है।

Sd/-

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक / क्यू. / सी.जे.एम. / 2023 जबलपुर, दिनांक 05.01.2023

प्रतिलिपिः–

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. सांख्यिकी अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म0प्र0)
(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में द्वितीय संशोधन आदेश)

क्रमांक / क्यू / सी.जे.एम. / 2023 जबलपुर, दिनांक 31.01.23

भारत शासन के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.22 के अनुसार केन्द्र सरकार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में हुये संशोधन के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 52''क'' की उपधारा 02 एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत जब्तशुदा सामग्री के नमूने लिये जाने / प्रेषण किये जाने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत आवेदन के निराकरण हेतु मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.2023 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से संशोधन करते हुए निम्नानुसार अनुसूची कं. 03 को समाहित करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा–

// अनुसूची कं. 03 //

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52''क'' की उपधारा 02 एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत जब्तशुदा सामग्री के नमूने लिये जाने / प्रेषण किये जाने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत आवेदन के निराकरण हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट को आरक्षी केन्द्र का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:–

क	आरक्षी केन्द्र	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
1	कैंट, पनागर,	श्री अंकुर तिवारी	श्रीमती नूतन रावते	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना
2	गोरखपुर महिला थाना,	श्रीमती नूतन रावते	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	सुश्री श्रद्धा पांडेय
3	अधारताल, गोराबाजार	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	सुश्री श्रद्धा पांडेय	श्री तन्मय सिंह
4	बेलबाग, जी आर पी, आर पी एफ, विशेष रेल्वे अधिनियम	सुश्री श्रद्धा पांडेय	श्री तन्मय सिंह	श्री भूपेन्द्र सिंह
5	माढोताल, मदन महल, नया अपराध शाखा	श्री तन्मय सिंह	श्री भूपेन्द्र सिंह	सुश्री किरण मलिक
6	बरेला, हनुमानताल,	श्री भूपेन्द्र सिंह	सुश्री किरण मलिक	श्रीमती नेहा तोमर सिंह
7	घमापुर, ग्वारीघाट	सुश्री किरण मलिक	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्रीमती गजल पाहवा
8	खमरिया कोतवाली, भेडाघाट,	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्रीमती गजल पाहवा	श्री आनंद बागरी
9	रांझी, बरगी, संजीवनी नगर,	श्रीमती गजल पाहवा	श्री आनंद बागरी	श्री मनमोहन सिंह कौरव
10	तिलवारा, सिविल लाइन,	श्री आनंद बागरी	श्री मनमोहन सिंह कौरव	श्री कुंवर युवराज सिंह
11	कुंडम, ओमती,	श्री मनमोहन सिंह कौरव	श्री कुंवर युवराज सिंह	सुश्री सपना कनौडिया
12	गढा,गोहलपुर,	श्री कुंवर युवराज सिंह	सुश्री सपना कनौडिया	श्री अंकुर तिवारी
13	लार्डगंज, विजय नगर,	सुश्री सपना कनौडिया	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	श्रीमती नूतन रावते
10	पाटन, बेलखेडा, शहपुरा	सुश्री उजाला झा	श्री दशरथ सिंह भिडे	श्री रवि कुमार साहू
11	चरगवां, कटंगी	श्री रवि कुमार साहू	सुश्री उजाला झा	श्री दशरथ सिंह भिडे
12	खितौला,	सुश्री रेशमा खातून	सुश्री श्रृष्टि अग्निहोत्री	श्रीमती नूतन रावते
13	सिहोरा, मझौली गोसलपुर, मझगवां	सुश्री श्रृष्टि अग्निहोत्री	सुश्री रेशमा खातून	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना

नोट :–

1. उपरोक्तानुसार अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेगें। उक्त अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केंद्र के या उन्ही की न्यायालय में विचारण योग्य मामले के संबंध में आवेदन पेश किया जाये तो कमशः अगले प्रभारी आवेदन का निराकरण करेगे।

2. किन्ही कारणवश किसी आरक्षी केन्द्र का नाम छूट जाता है या किसी आरक्षी केन्द्र का नवीन रूप से गठन होता है तो उस आरक्षी केन्द्र के द्वारा उक्त अधिनियम के उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आवेदन का निराकरण सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना जे.एम.एफ.सी. जबलपुर द्वारा किये जाएगे।

3. उपरोक्त तालिका में यदि कॉलम कमांक 03, 04 एवं 05 में नामांकित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो उनके स्थान पर श्री अंकुर तिवारी/ श्रीमती नूतन रावते/सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना/सुश्री श्रद्धा पांडेय/श्री तन्मय सिंह/श्री भूपेन्द्र सिंह कमानुसार उक्तानुसार प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेगें।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर
(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

पृष्ठांकन कमांक/ क्यू./सी.जे.एम./2023 जबलपुर, दिनांक 31.01.2023

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. सांख्यिकी अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर
(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म0प्र0)

(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में तृतीय संशोधन आदेश)

कमांक / क्यू / सी.जे.एम. / 2023 जबलपुर, दिनांक 31.01.2023

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.2023 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा–

1. तहसील न्यायालय सिहोरा के संबंध में कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 01 (श्रीमती सविता ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम कं. 03 से आरक्षी केन्द्र सिहोरा, खितौला मझौली को एवं कॉलम कं. 04 में अंकित कंडिका कं. 01 लगायत 8 को विलोपित किया जाता है।

2. तहसील न्यायालय सिहोरा के संबंध में कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 02 (सुश्री रेशमा खातून, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम कं. 03 में आरक्षी केन्द्र सिहोरा, मझौली एवं कॉलम कं. 04 में कंडिका कं. 3 के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका समाहित की जाती है–

4. सिहोरा तहसील क्षेत्र से जो कटनी राजस्व में नहीं आते हों, के खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से उदभूत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण।

5. तहसील सिहोरा के वन विधि से उदभूत एवं खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद / प्रकरण।

6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं विशेष अधिसूचित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर तहसील सिहोरा पदस्थापना से संबंधित अन्य अधिनियम से संबंधित प्रकरण

3. तहसील न्यायालय सिहोरा के संबंध में कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 03 (सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम कं. 03 में आरक्षी केन्द्र खितौला एवं कॉलम कं. 04 में अंकित कंडिका कं. 03 के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका समाहित किये जाते है–

4– तहसील सिहोरा के समस्त आरक्षी केन्द्र से उदभूत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण।

5– आबकारी वृत्त सिहोरा द्वारा प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक/ क्यू./सी.जे.एम./2023 **जबलपुर, दिनांक 31.01.2023**

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. सांख्यिकी अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म0प्र0)

(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में चतुर्थ संशोधन आदेश)

कमांक / क्यू / सी.जे.एम. / 2023 जबलपुर, दिनांक 23.02.2023

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.2023 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा–

1. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 17 (श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम कं. 03 को तथा कॉलम कं. 04 के बिंदु कमांक 01,02 एवं 03 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

2. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 07 (श्रीमती तबस्सुम खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम कं. 04 में बिंदु कं. 04 के रूप में सायबर काईम से संबंधित दांडिक प्रकरण, परिवाद एवं धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन समाहित किये जाते है।

3. मूल आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में टीप एवं आवश्यक निर्देश में बिंदु कमांक 28 के रूप में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट किया जाता है–

   28. जिला जबलपुर में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले आरक्षी केन्द्र से उदभूत सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित दांडिक प्रकरणों, परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करेगे।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक / क्यू. / सी.जे.एम. / 2023 जबलपुर, दिनांक 23.02.23

प्रतिलिपिः–

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. सांख्यिकी अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.)

(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में पंचम संशोधन आदेश)

कमांक / क्यू / सी.जे.एम. / 2023 जबलपुर, दिनांक 12.04.2023

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.2023 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा–

1. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 14 (श्री विजय कुमार पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 02 से श्री विजय कुमार पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम विलोपित किया जाता है।

2. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 16 (श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 02 से श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर श्रीमती रूचि गोलस सगर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 24 (श्रीमती गजल पाहवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 02 से श्रीमती गजल पाहवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर सुश्री मृणालिनी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 29 (श्री तन्मय सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 02 से श्री तन्मय सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर श्री किशन देव सिंह पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

5. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 32 (श्रीमती नूतन रावते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 02 से श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर श्री वेद प्रकाश सगर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

6. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 34 (श्रीमती अदिति शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 02 से श्रीमती अदिति शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर सुश्री प्राची चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

7. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 35 (श्री अंकुर तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 02 से श्री अंकुर तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर श्री फरहान मसूद कुरैशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

8. कार्यविभाजन आदेश में नवीन सरल कं. 36 निम्नानुसार समाहित किया जाता है–

क	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
36	श्री धनकुमार कुड़ोपा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी		1– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण

9. तहसील न्यायालय सिहोरा के संबंध में कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 02 (सुश्री रेशमा खातून, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा जबलपुर) की कंडिका कं. 03 से आरक्षी केन्द्र मझौली को विलोपित किया जाता है।

10. तहसील न्यायालय सिहोरा के संबंध में कार्यविभाजन आदेश में नवीन सरल कं. 04 निम्नानुसार समाहित किया जाता है–

क	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
04	सुश्री उर्वशी यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	मझौली	1– उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, खात्मा प्ररकण, धारा 156(3) दं.प्रसं. के आवेदन, धारा 138 निगो.इ. एक्ट के प्रकरण एवं म.प्र.आबकारी अधिनियम के दांडिक प्रकरण। 2– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण

11. कार्यविभाजन आदेश में संलग्न अनुसूची 01 में तहसील न्यायालय सिहोरा के संबंध में पारित आदेश को पूर्णतः विलोपित कर निम्नानुसार प्रभार प्रतिस्थापित किया जाता है–

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
01	02	03	04	05	06
1	श्रीमती सविता ठाकुर	सुश्री रेशमा खातून	सुश्री श्रृष्टि अग्निहोत्री	सुश्री उर्वशी यादव	श्रीमती तबस्सुम खान
2	सुश्री रेशमा खातून	श्रीमती सविता ठाकुर	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री श्रृष्टि अग्निहोत्री	सुश्री श्रद्धा पाण्डेय
3	सुश्री श्रृष्टि अग्निहोत्री	सुश्री उर्वशी यादव	श्रीमती सविता ठाकुर	सुश्री रेशमा खातून	श्री फरहान मसूद कुरैशी
4	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री श्रृष्टि अग्निहोत्री	सुश्री रेशमा खातून	श्रीमती सविता ठाकुर	सुश्री प्राची चौधरी

12. कार्यविभाजन आदेश में संलग्न अनुसूची 02 (महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित अपराधो के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन को छोड़कर शेष अपराधो के संबंध में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन) के नोट कं. 02 में अंकित श्री उत्कर्ष कुमार सोनकर जे.एम.एफ.सी. का नाम विलोपित कर श्री आनंद बागरी जे.एम.एफ.सी. जबलपुर का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है एवं सरल कं. 11 एवं 12 को विलोपित कर उनके स्थान पर निम्नानुसार सरल कमांक प्रतिस्थापित किये जाते है–

क	**आरक्षी केन्द्र**	**प्रभारी अधिकारी**	**प्रभारी अधिकारी**	**प्रभारी अधिकारी**
01	**02**	**03**	**04**	**05**
11	सिहोरा, मझगवां, गोसलपुर	सुश्री उर्वशी यादव	सुश्री श्रृष्टि अग्निहोत्री	श्रीमती सविता ठाकुर
12	खितौला	सुश्री रेशमा खातून	श्रीमती सविता ठाकुर	सुश्री उर्वशी यादव
13	मझौली	सुश्री श्रृष्टि अग्निहोत्री	सुश्री रेशमा खातून	श्रीमती सविता ठाकुर

13. कार्यविभाजन आदेश में संलग्न अनुसूची 02 (महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित 164 दं.प्र.सं. के कथन) के सरल कं. 08 एवं 09 को विलोपित कर उनके स्थान पर निम्नानुसार सरल कमांक प्रतिस्थापित किये जाते है–

क	आरक्षी केन्द्र	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
01	02	03	04	05
08	सिहोरा, मझगवां, गोसलपुर	सुश्री उर्वशी यादव	श्रीमती सविता ठाकुर	सुश्री रेशमा खातून
09	खितौला मझौली	सुश्री रेशमा खातून	सुश्री उर्वशी यादव	श्रीमती सविता ठाकुर

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक/ क्यू./सी.जे.एम./2023 **जबलपुर, दिनांक 12.04.2023**

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. सांख्यिकी अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.)

(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में षष्ठम् संशोधन आदेश)

कमांक / क्यू / सी.जे.एम. / 2023 जबलपुर, दिनांक 17.04.2023

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.2023 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा–

1– माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के नोटिफिकेशन कं. A/1886(Raolway) III-6-3/57-IX dated 13-04-2023 के अनुसार श्री समीर कुमार मिश्र जे.एम.एफ.सी. जबलपुर की स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट जबलपुर के पद पर पदस्थापना हो जाने से कार्य विभाजन आदेश के सरल कं. 14 के कॉलम कं. 2 में श्री समीर कुमार मिश्र जे.एम.एफ.सी. / स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट का नाम समाहित किया जाता है।

2– कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 15 (श्री समीर कुमार मिश्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 02 से श्री समीर कुमार मिश्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर श्री धन कुमार कुड़ोपा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

3– कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 36 (श्री धन कुमार कुड़ोपा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) को पूर्ण रूप से विलोपित किया जाता है।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक / क्यू. / सी.जे.एम. / 2023 **जबलपुर, दिनांक 17.04.2023**

प्रतिलिपिः–

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. सांख्यिकी अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.)

(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में सप्तम् संशोधन आदेश)

कमांक / क्यू / सी.जे.एम. / 2023 जबलपुर, दिनांक 20.07.2023

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.2023 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा–

1– कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 22 (श्री मनमोहन सिंह कौरव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम कं. 03 से आरक्षी केन्द्र हनुमानताल को विलोपित किया जाता है।

2– कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 13 (श्रीमती विधि डागलिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम कं. 03 में आरक्षी केन्द्र हनुमानताल एवं कॉलम कं. 04 में निम्नानुसार कंडिका समाहित की जाती है :–

1. उक्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरणों को छोडकर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन।
2. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण।
3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित प्रकरण ।

20.7.23

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक / क्यू. / सी.जे.एम. / 2023 जबलपुर, दिनांक 20.07.2023

प्रतिलिपिः–

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

20.7.23

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.)

(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में अष्ठम् संशोधन आदेश)

कमांक / क्यू / सी.जे.एम. / 2023 जबलपुर, दिनांक 17.08.2023

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 03.01.2023 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा–

1– कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 16 (श्रीमती रूचि गोलस सगर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम कं. 03 से आरक्षी केन्द्र गोहलपुर को एवं कॉलम कं. 04 से कंडिका कं. 01 एवं 02 को विलोपित किया जाता है।

2– कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 32 (श्री वेद प्रकाश सगर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के कॉलम कं. 03 में आरक्षी केन्द्र गोहलपुर को समाहित किया जाता है।

3– कार्यविभाजन आदेश की अनुसूची कं. 02 में वर्णित महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों एवं लैगिक अपराध से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित धारा 164 दं.प्र.सं. के कथनों हेतु महिला मजिस्ट्रेटगण को आरक्षी केन्द्र के आवंटन में सरल कं. 05 के कॉलम नं. 03 एवं सरल कं. 03 के कॉलम नं. 04 में प्रभारी अधिकारी के रूप में उल्लेखित श्रीमती नूतन रावते जे.एम.एफ.सी. जबलपुर का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर श्रीमती रूचि गोलस सगर प्रतिस्थापित किया जाता है।

17-8-23

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक/ क्यू. /सी.जे.एम. /2023 जबलपुर, दिनांक 17.08.2023

प्रतिलिपिः–

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

17-8-23

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर